रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 653] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 4, 2000/आश्विन 12, 1922

No. 653] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 4, 2000/ASVINA 12, 1922

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2000

का.आ. 914(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

''आदेश

श्री सी0पी0 तिरुनावुक्करासु, संसद् सदस्य (राज्य सभा), श्री आदि शंकर, संसद् सदस्य (लोक सभा), श्री सैदई के0 किट्टू, विधान सभा सदस्य, तमिलनाडु और श्री विडुतलै विरुम्मी, संसद् सदस्य (राज्य सभा) ने टी0टी0वी0 दिनाकरन, लोक सभा के आसीन सदस्य की उस सदन का सदस्य होने के लिए, निरर्हता के लिए तारीख 19-1-2000 की एक जैसी याचिकाएं प्रस्तुत की थीं जो उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अधीन अधिकारियो के समक्ष कुछ कार्यवाहियों मे स्वयं को अनिवासी भारतीय घोषित करने के कारण, सिंगापुर मे स्थायी निवासी प्रास्थिति धारण करने के लिए, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम की विधियो, जिनमे किसी निदेशक के अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित उपबंध हैं और जो अपनी विधियो के उपबंधो के अननुपालन के लिए शास्ति का उपबंध करती हैं, के अधीन रजिस्ट्रीकृत एडवेचर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, डिप्पर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, गाडफ्रे रिसोर्सेज और बेंजन ट्री का निदेशक होने के कारण और इस प्रकार सिंगापुर तथा यूनाइटेड किंगडम की विधियों द्वारा आबद्ध किए जाने के कारण थी और जो उनके अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 102(1)(च) के अर्थान्तर्गत किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार करना है;

और राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन निर्वाचन आयोग की राय इस प्रश्न पर मांगी थी कि क्या श्री टी0टी0वी0 दिनाकरन निरर्हता से ग्रस्त हो गए हैं;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय (उपाबंध देखिए) दी है कि सुस्थिर सांविधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, श्री टी0टी0वी0 दिनाकरन की अधिकथित निरर्हता का प्रश्न, कदाचित, निर्वाचन पूर्व निरर्हता का मामला होने के कारण, संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन न तो

राष्ट्रपति के समक्ष उठाया जा सकता है और न ही उसका उनके द्वारा विनिश्चय किया जा सकता है । परिणामस्वरूप, निर्वाचन आयोग के पास ऐसी अधिकथित निर्वाचन-पूर्व निरर्हता के प्रश्न पर कोई राय व्यक्त करने की कोई अधिकारिता नहीं है । अतः, वर्तमान याचिकाएं संविधान के अनुच्छेद 103(1) के निबंधनों के अनुसार, राष्ट्रपति के समक्ष चलाए जाने योग्य नहीं हैं;

अतः, अब, मैं, के0 आर0 नारायणन, भारत का राष्ट्रपति, इसके द्वारा यह विनिश्चय करता हूँ कि श्री सी0पी0 तिरुनावुक्कारासु, श्री आदि शंकर, श्री सैदई के0 किट्टू और श्री विडुतलै विरुम्मी की याचिकाएं चलाए जाने योग्य नहीं हैं और इसलिए, नामंजूर की जाती हैं ।

21 सितम्बर 2000 **राष्ट्रपति**

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

गणपूर्ति :

माननीय श्री जे.एम.लिंगदोह
निर्वाचन आयुक्त

माननीय डा. एम.एस.गिल
मुख्य निर्वाचन आयुक्त

माननीय श्री टी.एस.कृष्णमूर्ति
निर्वाचन आयुक्त

2000 का निर्देश मामला संख्यांक 1,2,3 और 4

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश]

संदर्भ : संसद् (लोक सभा) के आसीन सदस्य श्री टी.टी.वी दिनाकरन की अभिकथित निरर्हता ।

2000 का निर्देश सं0 1 के विषय में

श्री सी.पी.तिरुनावुक्कारासु,
संसद् सदस्य (राज्य सभा)
23, सुफर्न स्ट्रीट,
पाडिचेरी । — याची

बनाम

श्री टी.टी.वी.दिनाकरन,
संसद् सदस्य (लोक सभा),
पुत्र श्री विवेकानंदन,
24वीं स्ट्रीट, वेंकटेश्वर नगर,
अड्यार,
चेन्नई--600020 । — प्रत्यर्थी

2000 का निर्देश सं0 2 के विषय में

श्री आदि शंकर,
ससद् सदस्य (लोक सभा)
13-ए, असनूर रोड,
तिरुकोइलुर, विल्लुपुरम जिला,
तमिल नाडु । — याची

बनाम

श्री टी.टी.वी.दिनाकरन,
संसद् सदस्य (लोक सभा),
पुत्र श्री विवेकानंदन,
24वीं स्ट्रीट, वेंकटेश्वर नगर,
अड्यार,
चेन्नई–600020 । — प्रत्यर्थी

2000 का निर्देश सं0 3 के विषय में

श्री सैदई के. किट्टू , याची
विधान सभा सदस्य,
2, अंजनेयर कोइल स्ट्रीट,
लिटिल माउंट, सैडापैठ,
चेन्नई–600015 ।

बनाम

श्री टी.टी.वी.दिनाकरन, प्रत्यर्थी
संसद् सदस्य (लोक सभा),
पुत्र श्री विवेकानंदन,
24वीं स्ट्रीट, वेंकटेश्वर नगर,
अड्यार,
चेन्नई--600020 ।

2000 का निर्देश सं0 4 के विषय में

श्री विदुथलै विरुम्बी, याची
संसद् सदस्य (राज्य सभा),
1/57, टीएनएचबी कालोनी,
रेस कोर्स रोड,
कोयम्बटूर,
तमिल नाडु ।

बनाम

श्री टी.टी.वी दिनाकरन, प्रत्यर्थी
संसद् सदस्य (लोक सभा),
पुत्र-विवेकानंदन,
24वीं स्ट्रीट, वेंकटेश्वर नगर,
अड्यार,
चेन्नई--600020 ।

राय

संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन, भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त इन चार निर्देशो में, जो सभी तारीख 28.03.2000 के हैं, इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या लोक सभा के आसीन सदस्य श्री टी.टी.वी.दिनाकरन, संविधान के अनुच्छेद 102(1) के अधीन, उस सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हता से ग्रस्त हो गए हैं ।

2. उपर्युक्त प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन उपर्युक्त याचियों द्वारा तारीख 19.01.2000 को भारत के राष्ट्रपति को दी गई चार एक जैसी याचिकाओं में उद्भूत हुआ था । उक्त याचिकाओं में, याचियों ने यह अभिकथन किया था कि श्री टी.टी.वी.दिनाकरन, जिसने तमिलनाडु में 25-पेरियाकुलम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से सितंबर, 1999 में आयोजित लोक सभा निर्वाचनों में निर्वाचन लड़ा था, संविधान के अनुच्छेद 102(1)(घ) के अधीन निरर्हता उपाप्त करने के कारण, लोक सभा के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरर्हता से ग्रस्त हो गए हैं ।

3. याचियों ने अभिकथन किया कि प्रत्यर्थी, श्री टी.टी.वी.दिनाकरन ने न्यायालय के समक्ष और विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम (फेरा) के अधीन प्राधिकारियों के समक्ष कतिपय कार्यवाहियों में स्वयं को अनिवासी भारतीय घोषित किया है और यह कि उसने सिंगापुर सरकार के पास दस लाख डालर की रकम जमा करके सिंगापुर में स्थायी निवासी की प्रास्थिति प्राप्त कर ली है और वह वहां एडवेंचर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर नामक एक कंपनी का निदेशक भी बन गया है और उसने स्थायी आवासीय पता 37, जालन तेलिती, सिंगापुर दिया है । याचियों ने आगे यह दलील दी कि उपरोक्त आशय के आक्षेप, 1999 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन के दौरान 25 पेरियाकुलम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के समक्ष, प्रत्यर्थी के नामनिर्देशन की संवीक्षा के समय पर भी किए गए थे किन्तु रिटर्निंग आफिसर ने इस प्रभाव किए गए आक्षेपों को नामंजूर कर दिया था और प्रत्यर्थी के नामनिर्देशन पत्र को विधिमान्य रूप में स्वीकार कर लिया था ।

4 याचियों ने आगे यह अभिकथन किया कि प्रत्यर्थी यू.के. की विधियों के अधीन निगमित कुछ अन्य कंपनियों जैसे कि डिप्पर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, गाडफ्रे रिसोर्सेज और बेंजन ट्री, का भी निदेशक था । याचियों ने दलील दी कि प्रत्यर्थी, सिंगापुर में स्थायी निवासी की प्रास्थिति धारण करने के कारण और सिंगापुर तथा यू.के. की विधियों, जिनमें निदेशक के अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित उपबंध हैं और उनकी विधियों के उपबंधों के अननुपालन के लिए शास्तियों का भी उपबंध करती है, के अधीन रजिस्ट्रीकृत एडवेंचर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, डिप्पर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, गाडफ्रे रिसोर्सेज और बेंजन ट्री में निदेशक होने के कारण सिंगापुर और यू.के. की विधियों द्वारा आबद्ध हैं और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 102(1)(घ) के अर्थान्तर्गत किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए हैं, जो उसे संसद् की सदस्यता के लिए निरर्हता के प्रति दायी बनाती है । उपरोक्त प्रकथनों और दलीलों के समर्थन में याचियों ने अपनी याचिकाओं के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की जेरोक्स प्रतियां प्रस्तुत की हैं :--

(i) तारीख 2.4.1994 को निगमित एडवेंचर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के संक्षिप्त ब्यौरे से संबंधित रजिस्ट्री आफ कंपनीज एंड बिजनेस (आरसीबी) सिंगापुर से उद्धरण ;

(ii) स्थायी निवास के लिए निक्षेप स्कीम ;

(iii) उद्यमी स्कीम के अधीन स्थायी निवास के लिए आवेदन ;

(iv) स्थायी निवास के लिए निक्षेप स्कीम, प्ररूप 'क' ;

(v) सिंगापुर में उद्यमियों के लिए स्थायी निवास के लिए आवेदन, प्ररूप 'ख' ; और

(vi) प्ररूप 4, अप्रवासी अधिनियम—स्थायी निवास के लिए प्रवेश अनुज्ञा के लिए आवेदन ।

5. पूर्वोक्त याचिकाओं में याचियों द्वारा किए गए अभिकथनों, प्रकथनों और दलीलों से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के नामनिर्देशन की विधिमान्यता के संबंध में, नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा के समय रिटर्निंग आफिसर के समक्ष आक्षेप उन्हीं आधारों पर किए गए थे जो वर्तमान याचिका में किए गए हैं । अतः, याचिका में उठाया गया अभिकथित निरर्हता का प्रश्न कदाचित निर्वाचन-पूर्व निरर्हता का मामला है । किसी ऐसे निश्चित मत पर पहुंचने की दृष्टि से कि राष्ट्रपति के समक्ष अनुच्छेद 103(1) के अधीन उक्त याचिकाओं में उठाया गया प्रश्न निर्वाचन-पूर्व निरर्हता से संबंधित है, आयोग ने, तारीख 01.05.2000 के पत्र सं0 113/1/टीएन/2000-जेएस1/2723 के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आफिसर, तमिलनाडु से निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां मंगाईं :--

(i) प्रत्यर्थी श्री टी.टी.वी. दिनाकरन द्वारा फाइल किए गए नामनिर्देशन पत्र के संबंध में किए गए आक्षेपों पर रिटर्निंग आफिसर द्वारा पारित आदेश ;

(ii) रिटर्निंग आफिसर के समक्ष परस्पर विरोधी अभ्यर्थियों द्वारा फाइल की गई आक्षेप याचिकाएं, आवेदन आदि ; और

(iii) मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष श्री टी.टी.वी. दिनाकरन के विरुद्ध फाइल की गई निर्वाचन याचिका ।

6. आयोग के तारीख 1.5.2000 के उपरोक्त पत्र के अनुसरण में, मुख्य निर्वाचन आफिसर तमिलनाडु ने अपने पत्र सं. 3693/2000-3, तारीख 17.5.2000 द्वारा थेनी जिला के कलक्टर, और 25-पेरियाकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन आफिसर से यथा प्राप्त उपरोक्त (i) और (ii) में मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन आफिसर ने यह भी सूचित किया है कि डी.एम.के. पार्टी द्वारा खड़े किए गए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री पी. सेलवेंद्रन द्वारा भी 25-पेरियाकुलम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए श्री टी.टी.वी. दिनाकरन प्रत्यर्थी के निर्वाचन पर प्रश्न उठाते हुए, एक निर्वाचन याचिका फाइल की गई है । आयोग को, मद्रास उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से उक्त निर्वाचन याचिका के फाइल किए जाने की औपचारिक सूचना भी प्राप्त हुई है ।

7. मुख्य निर्वाचन आफिसर, तमिलनाडु से प्राप्त ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के अवलोकन से यह पाया गया है कि डी.एम.के. पार्टी द्वारा खड़े किए गए निर्वाचन लड़ने वाले प्रतिद्वंद्वी अभ्यर्थी श्री पी. सेलवेन्द्रन और निर्दलीय अभ्यर्थी, श्री सी. राजागोपाल, ने रिटर्निंग आफिसर के समक्ष आक्षेप याचिकाएं फाइल की हैं जिनमें उन्होंने श्री दिनाकरन के नामनिर्देशन पत्र को इस आधार पर नामंजूर करने का अनुरोध किया है कि वे विदेशी कंपनी के निदेशक थे और सिंगापुर सरकार के पास दस लाख अमेरिकी डालर जून, 1994 से सिंगापुर में स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए जमा कराए थे और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम से छूट प्राप्त करने का दावा भी किया था और इस प्रकार, वे संसद् सदस्य चुने जाने के लिए और बने रहने के लिए निरर्हित थे क्योंकि उनकी निष्ठा और अनुषक्ति बाहरी देश, अर्थात् सिंगापुर के प्रति थी । रिटर्निंग आफिसर के समक्ष उन्होंने यह भी अधिकथित किया था कि प्रत्यर्थी भारत से बाहर की कंपनी का स्वामी है और वहां कारबार करता है तथा देश से बाहर किए गए कारबार से उपार्जित आय देश में नहीं लाई गई है और इसीलिए वह निर्वाचन लड़ने के लिए निरर्हित है । यह भी अधिकथित किया गया था कि प्रवर्तन निदेशक ने प्रत्यर्थी पर 31 करोड़ रुपए की शास्ति अधिरोपित की थी और उसने उक्त राशि जमा नहीं की है । आक्षेपकर्ताओं ने आगे यह भी अधिकथित किया है कि प्रत्यर्थी प्रवर्तन निदेशक द्वारा उस पर अधिरोपित शास्ति की राशि के समतुल्य की संपत्ति अपने कब्जे में दर्शाने में असफल रहा है और इस प्रकार वह अनुन्मोचित दिवालिया है तथा संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ग) के अधीन निरर्हित है । तथापि, रिटर्निंग आफिसर ने तारीख 25.8.1999 के अपने आदेश द्वारा प्रत्यर्थी के नामनिर्देशन की विधिमान्यता के संबंध में उठाए गए उपरोक्त सभी आक्षेपों को नामंजूर कर दिया ।

8. उपरोक्त याचिकाओं, सुसगत तथ्यों और मुख्य निर्वाचन आफिसर, तमिलनाडु से प्राप्त दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच तथा समीक्षा करने से निःसंदेह रूप से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के समक्ष मौजूदा याचिका में उठाया गया निरर्हता का प्रश्न प्रत्यर्थी की निर्वाचन-पूर्व निरर्हता से संबंधित है जो यदि कुछ हो भी तो, पूर्व में और 25-पेरियाकुलम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से तारीख 11.9.1999 को उसके निर्वाचन के पूर्व और उस तारीख को अस्तित्व में थी । इस प्रकार याची के स्वप्रकथनों से यदि कुछ है भी तो यह निर्वाचन-पूर्व की निरर्हता है और ऐसी निरर्हता का मामला नहीं है जिससे प्रत्यर्थी 11.9.1999 को लोक सभा के लिए अपने निर्वाचन के पश्चात् ग्रस्त हो गया है या जो उसके निर्वाचन के बाद उपगत हुई है ।

9. यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति को केवल ऐसी निरर्हता के प्रश्नों का विनिश्चय करने की अधिकारिता है जिससे कोई आसीन सदस्य निर्वाचन के पश्चात् ग्रस्त हो जाता है । अतः,

अधिकथित निरर्हता के प्रश्न की जांच करना निर्वाचन आयोग की अधिकारिता के अंतर्गत केवल तभी आता है जब वह संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो और निर्वाचन-पश्च निरर्हता से संबंधित हो । निर्वाचन-पूर्व निरर्हता का कोई भी प्रश्न, अर्थात् ऐसी निरर्हता, जिससे कोई व्यक्ति अपने निर्वाचन के समय या उससे पूर्व ग्रस्त था, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 329(ख) के उपबंधों के अनुसार, केवल निर्वाचन याचिका द्वारा उठाया जा सकता है, अन्यथा नहीं । इस संबंध में, निर्वाचन आयोग बनाम शाका वेंकट राव (एआईआर 1953 एस.सी. 210) ; वृन्दावन नाईक बनाम निर्वाचन आयोग (एआईआर 1965 एस.सी. 1892); निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी.रंगा (एआईआर 1978 एस.सी. 1609), आदि उच्चतम न्यायालय के अनेक विनिश्चयों का हवाला दिया जा सकता है ।

10. ऊपर निर्दिष्ट सुस्थिर सांविधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, श्री टी.टी.वी. दिनाकरन की अधिकथित निरर्हता, यदि कोई हो भी तो, निर्वाचन-पूर्व निरर्हता का मामला है और इसे संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष न तो उठाया जा सकता है और न उनके द्वारा उसका विनिश्चय किया जा सकता है । परिणामस्वरूप, निर्वाचन आयोग की भी अधिकथित निर्वाचन-पूर्व निरर्हता के सबध मे, राय व्यक्त करने की अधिकारिता नहीं है । अतः, संविधान के अनुच्छेद 103(1) के निबंधनो के अनुसार, मौजूदा याचिका चलाए जाने योग्य नहीं है । राष्ट्रपति एवं राज्यों के राज्यपालों द्वारा निर्दिष्ट इस प्रकार के अनेक मामलों मे आयोग ने यही मत व्यक्त किया है ।

11. संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की उपरोक्त आशय की राय के साथ राष्ट्रपति से मौजूदा मामलों मे प्राप्त निर्देशो को, तदनुसार, उन्हें वापस किया जा रहा है ।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(जे.एम.लिंगदोह)	(डा0 एम.एस.गिल)	(टी.एस कृष्णमूर्ति)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली

तारीख 13 जुलाई, 2000"

[फा. सं. एच- 11026(3)/2000-वि.2]

एन.एल. मीणा, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2000

S.O. 914(E).—The following Order made by the President is published for general information :-

"ORDER

Whereas Shri C.P.Thirunavukkarasu, Member of Parliament (Rajya Sabha), Shri Adhi Sankar, Member of Parliament (Lok Sabha), Shri Saidai K. Kittu, Member of Legislative Assembly of Tamil Nadu and Shri Viduthalai Virumbi, Member of Parliament (Rajya Sabha) had made identical petitions dated 19.1.2000 for the disqualification of Shri T.T.V. Dhinakaran, a sitting member of Lok Sabha, for being a member of that House on account of his declaring himself as a non-resident Indian in

certain proceedings before the court and authorities under the Foreign Exchange Regulation Act, 1973, his holding the permanent resident status in Singapore, being a Director in Adventure Holdings Pvt. Ltd., Dipper Investments Ltd., Godfrey Resources and Benjan Tree, registered under the Singapore and United Kingdom laws, which contain provisions relating to rights and duties of a director and provide for penalties for non-compliance of the provisions of their laws and thus being bound by the laws of Singapore and United Kingdom, and which according to them is an acknowledgement of allegiance or adherence to a foreign State, within the meaning of article 102 (1)(d) of the Constitution;

And whereas the President had sought the opinion of the Election Commission under article 103(2) of the Constitution, on the question whether Shri T.T.V. Dhinakaran, had become subject to disqualification;

And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that in view of the well settled constitutional position, the question of the alleged disqualification of Shri T.T.V. Dhinakaran, being a case of pre-election disqualification, if at all, cannot be raised before, or decided by, the President under article 103(1) of the Constitution. Consequently, the Election Commission has no jurisdiction to express any opinion on the question of such alleged pre-election disqualification. The present petitions are, therefore, non-maintainable before the President in terms of article 103(1) of the Constitution;

Now, therefore, I, K.R. Narayanan, President of India, do hereby decide that the petitions of Shri C.P. Thirunavukkarasu, Shri Adhi Sankar, Shri Saidai K. Kittu and Shri Viduthalai Virumbi are non-maintainable and are therefore rejected.

21st September, 2000 PRESIDENT

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

CORAM :

Hon'ble Shri J.M. Lyngdoh	Hon'ble Dr. M.S. Gill	Hon'ble Shri T.S. Krishna Murthy
Election Commissioner	Chief Election Commissioner	Election Commissioner

Reference Case Nos. 1,2,3 and 4 of 2000

[References from the President of India under Article 103 (2) of the Constitution of India]

In re: Alleged disqualification of Shri T.T.V. Dhinakaran, a siting Member of Parliament (Lok Sabha).

In the matter of :

Reference Case No. 1 of 2000

Shri C.P. Thirunavukkarasu,
Member of Parliament (Rajya Sabha),
23, suffern Street,
Pondicherry. — Petitioner

Versus

Shri T.T.V. Dhinakaran,
Member of Parliament (Lok Sabha),
S/o Vivekanandan,
24th Street, Venkateswara Nagar,
Adayar,
Chennai-600 020. — Respondent

Reference Case No. 2 of 2000

Shri Adhi Sankar,
Member of Parliament (Lok Sabha),
13-A, Asanur Road,
Tirukoilur, Villupuram Distt.,
Tamil Nadu. — Petitioner

Versus

Shri T.T.V. Dhinakaran,
Member of Parliament (Lok Sabha),
S/o Vivekanandan,
24th Street, Venkateswara Nagar,
Adayar,
Chennai-600 020. — Respondent

Reference Case No. 3 of 2000

Shri Saidai K. Kittu, Petitioner
Member of Legislative Assembly,
2, Anjaneyar Koil Street,
Little Mount, Saidapet,
Chennai-600 015.

Versus

Shri T.T.V. Dhinakaran, Respondent
Member of Parliament (Lok Sabha),
S/o Vivekanandan,
24th Street, Venkateswara Nagar,
Adayar,
Chennai-600 020.

Reference Case No. 4 of 2000

Shri Viduthalai Virumbi, Petitioner
Member of Parliament (Rajya Sabha),
1/57 TNHB Colony,
Race Course Road,
Coimbatore,
Tamil Nadu.

Versus

Shri T.T.V. Dhinakaran, Respondent
Member of Parliament (Lok Sabha),
S/o Vivekanandan,
24th Street, Venkateswara Nagar,
Adayar,
Chennai-600 020.

OPINION

These are four references, all dated 28.03.2000, from the President of India, seeking the opinion of the Election Commission under Article 103 (2) of the Constitution of India, on the question whether Shri T.T.V. Dhinakaran, a sitting member of Lok Sabha, has become subject to disqualification, for being a member of that House, under Article 102 (1) of the Constitution of India.

2. The above question arose on four identical petitions, dated 19.01.2000 submitted by the above mentioned petitioners to the President of India, under Article 103(1) of the Constitution of India. In the said petitions, the petitioners alleged that Shri T.T.V. Dhinakaran, who contested the election to the Lok Sabha held in September, 1999 from 25-Periyakulam Parliamentary Constituency in Tamil Nadu, had become subject to disqualification for continuing as a member of the House of the People, for having incurred disqualification under Article, 102 (1) (d) of the Constitution of India.

3. The petitioners alleged that respondent, Shri T.T.V. Dhinakaran, declared himself as a non-resident Indian in certain proceedings before the court and authorities under the Foreign Exchange Regulation Act (FERA), and that he secured permanent resident status in Singapore by depositing a sum of One Million Dollars to Singapore Government and also became a Director of a Company there, Adventure Holdings Pvt. Ltd. Singapore, and gave his permanent residential address as 37, Jalan Teliti, Singapore. The petitioners further contended that objections to the above effects were also raised before the Returning Officer for 25-Periyakulam Parliamentary Constituency at the time of scrutiny of nomination of the respondent, during the general election to the House of People held in 1999, but the Returning Officer rejected the objections so raised and accepted the nomination paper of the respondent as valid.

4. The petitioners further alleged that the respondent was also a Director in certain other companies, viz., Dipper Investments Ltd., Godfrey Resources and Benjan Tree, incorporated under the U.K. laws. The petitioners contended that the respondent by virtue of holding the permanent resident

status in Singapore, being a Director in Adventure Holdings Pvt. Ltd., Dipper Investment Ltd., Godfrey Resources and Benjan Tree, registered under the Singapore and U.K. laws, which contain provisions relating to rights and duties of a Director and also provide for penalties for non-compliance of the provisions of their laws, is bound by the laws of Singapore and U.K., and as such is under an acknowledgment of allegiance or adherence to a Foreign State, within the meaning of Article 102 (1) (d) of the Constitution, rendering him liable to disqualification for membership of Parliament. In support of the above averments, and contentions, the petitioners have submitted with their petitions, Xerox copies of the following documents;

(i) Extract from the Registry of Companies and Business (RCB) Singapore regarding the brief details of Adventure Holdings Pvt. Ltd. incorporated on 02.04.1994;

(ii) Deposit scheme for Permanent Residence;

(iii) Application for Permanent residence under the Entrepreneur Scheme;

(iv) Deposit scheme for Permanent Residence, Form 'A';

(v) Application for Permanent Residence in Singapore for Entrepreneurs, Form 'B'; and

(vi) Form 4, Immigration Act - application for an Entry Permit for Permanent Residence.

5. From the allegation, averments and contentions made by the petitioners in their aforesaid petitions, it is apparent that objections were made before the Returning Officer, at the time of scrutiny of nomination papers, regarding the validity of nomination of the respondent, on the very grounds as have been raised in the present petition. The question of alleged disqualification raised in the petitions is, therefore, a case of pre-election

disqualification, if at all. In order to come todefinite view that the question raised in the said petitions before the President under Article 103(1) related to pre-election disqualification, the Commission vide letter No. 113/1/TN/2000-J.S.I/2723, dated 1.5.2000, summoned from the Chief Electoral Officer, Tamil Nadu, copies of the following documents :-

(i) Order passed by the Returning Officer on the objections raised in relation to the nomination paper filed by the Respondent, Sh. T.T.V. Dhinakaran;

(ii) Objection petitions, applications, etc., filed by the rival candidates before the Returning Officer; and

(iii) Election Petition filed against Shri T.T.V. Dhinakaran, before the Madras High Court.

6. In response to the Commission's aforesaid letter dated 1.5.2000, the Chief Electoral Officer, Tamil Nadu vide letter No. 3693/2000-3, dated 17.5.2000, has furnished to the Commission the documents summoned at (i) and (ii) above, as obtained from the Collector, Theni District and Returning Officer for 25-Periyakulam Parliamentary Constituency. The Chief Electoral Officer has further informed that an election petition has also been filed by Shri. P. Selvendran, a contesting candidate sponsored by D.M.K party calling in question the election of the respondent Shri. T.T.V. Dhinakran to the House of the People from 25-Periyakulam Parliamentary Constituency. A formal intimation has also been received in the Commission from the Registrar, High Court of Madras about filing of the said election petition.

7. From a perusal of the above mentioned documents received from the Chief Electoral Officer, Tamil Nadu, it has been observed that Shri P. Selvendran, a rival contesting candidate sponsored by D.M.K. party, and

Shri C. Rajagopal, an independent candidate, filed objection petitions before the Returning Officer seeking rejection of the nomination paper of Shri Dhinakaran on the grounds that he was a director of a foreign company and had deposited an amount of one million U.S. dollars with the Singapore Govt. to obtain permanent residence in Singapore from June, 1994, that he claimed exemption from FERA (Foreign Exchange Regulation Act), and that he was thereby disqualified for being chosen as, and for being, a member of Parliament, as he was owing allegiance and adherence to a foreign country, namely, Singapore. It was further alleged before the Returning Officer that the respondent was owning Companies outside India and doing business there and the income earned through business outside the country was not brought inside the country, and as such he was disqualified to contest the election. It was also alleged that the Director of Enforcement had imposed a penalty of Rs. 31 crores on the respondent and that he had not deposited the said amount. The objectors furthermore alleged that the respondent had failed to show any property in possession equal to the amount of penalty imposed upon him by the Director of Enforcement and as such he was an undischarged insolvent, and thus disqualified under Article 102 (1) (c) of the Constitution. The Returning Officer, by his order dated 25.8.1999, however, rejected all the above objections raised in regard to the validity of nomination of the respondent.

8. On a careful examination and scrutiny of above mentioned petitions, relevant facts and documents received from the Chief Electoral Officer, Tamil Nadu, it is unambiguously clear that the question of disqualification which has been raised in the present petitions to the President relates to pre-election disqualification of the respondent, which subsisted, if at all, prior to.

and on the date of, his election on 11.09.1999 from 25-Periyakulam Parliamentary Constituency. Thus, according to the petitioners' own averments, it is a case of pre-election disqualification, if at all, and not a case of disqualification, which the respondent incurred or to which he became subject after his election to the House of the People on 11.09.1999.

9. It is well settled that under Article 103 (1) of the Constitution, the President has jurisdiction to decide only such question of disqualification to which a sitting member of Parliament becomes subject after his election. Consequently, the jurisdiction of the Election Commission to enquire into question of the alleged disqualification, on being referred to it by the President under Article 103 (2) of the Constitution, also arises only in cases of post-election disqualification. Any question of pre-election disqualification, i.e., disqualification from which a person was suffering at the time of, or prior to, his election, can be raised only by means of an election petition presented in accordance with the provisions of Article 329 (b) of the Constitution read with Part-VI of the Representation of the People Act, 1951, and in no other manner. Reference is invited, in this connection, to the Supreme Court's catena of decisions in Election Commission Vs. Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 210); Brundaban Naik Vs. Election Commission (AIR 1965 SC 1892); Election Commission Vs. N.G. Ranga (AIR 1978 SC 1609); etc.

10. In view of the well settled constitutional position, referred to above, the question of the alleged disqualification of Shri T.T.V. Dhinakaran, being a case of pre-election disqualification, if at all, cannot be raised before, or decided by, the President under Article 103 (1) of the Constitution. Consequently, the Election Commission also has no jurisdiction to express

any opinion on the question of such alleged pre-election disqualification. The present petitions are, therefore, non-maintainable before the President in terms of Article 103(1) of the Constitution. The same view has already been expressed by the Commission in a large number of similar cases, referred to it, by the President and Governors of several States.

11. The references received from the President, in the present cases, are accordingly returned to him, with the opinion of the Election Commission of India, under Article 103(2) of the Constitution, to the above effect.

(J. M. Lyngdoh) Election Commissioner	(Dr. M. S. Gill) Chief Election Commissioner	(T. S. Krishna Murthy) Election Commissioner

New Delhi

Dated : 13th July, 2000"

[F. No. 11026(3)/2000-Leg. II]

N. L. MEENA, Jt. Secy. & Legislative Counsel

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.